(21) 3427

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

10 NOV 20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 369841

सुमनलता तिवारी

कार्यालय का नाम — उप निबन्धक, जोन नं. 2, कानपुर नगर

(1) प्रस्तुत दिनांक : 12–11–2009

(2) निष्पादन दिनांक : 11–11–2009

(3) लेखपत्र का प्रकार : विक्रय पत्र

(4) प्रतिफल : रूपया 3,20,000/–

(5) बाजारी मूल्य : रूपया 12,75,000/–

सुमनलता तिवारी

भाग 1

तकर्त्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

क्रम संख्या 56

र्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

पकार

का नाम 75,000 रु

ी धनराशि

ट्रीकरण शुल्क 127500

लेपि करण शुल्क

क्षण या तलाश शुल्क 600 + 100

ारनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क

शन शुल्क

ग्रें

त्रक भत्ता

क का योग

ल करने का दिनांक

ा से लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने

ार होगा

ग अधिकारी के हस्ताक्षर

रघुमन लाल तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

10 NOV 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 369842

(6) प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : श्रीमती सुमनलता वयस्क पत्नी स्वर्गीय जय जय राम उर्फ विनोद कुमार व अवधेश कुमार वयस्क पुत्र स्वर्गीय जय जय राम उर्फ विनोद कुमार निवासीगण ग्राम नारामऊ बांगर कानपुर नगर

(7) क्रेता/किसके पक्ष में : रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 3–11–2009 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ)

(8) **सम्पत्ति का विवरण** :

(1) स्थान	: ग्राम नारामऊ बांगर, परगना व तहसील जिला कानपुर नगर
(2) खाता नं0/चक नं0	: खाता संख्या 00035 की आराजी संख्या 3 मि. क्षेत्रफल 0.051 हेक्टयर का 1/2भाग क्षेत्रफल 0.0255 हेक्टेयर अर्थात 255 वर्गमीटर
(3) आच्छादित क्षेत्रफल	: लागू नहीं है

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कानपुर नगर 5 NOV 2009 कोषाधिकारी

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

908356

(4) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारो ओर कृषि भूमि है

(5) प्रयोजन : आवासीय

(6) भवन के तलों की संख्या : x

(7) निर्माण : x

(8) निर्माण अवधि : x

(9) सीमाओं का विवरण :

खाता संख्या 00035 आराजी संख्या 3 मि. कुल क्षेत्रफल 0.051 हेक्टेयर का 1/2 भाग विक्रीत क्षेत्रफल 0.0255 हेक्टेयर अर्थात 255 वर्गमीटर स्थित मौजा नारामऊ बांगर कानपुर नगर की सीमायें :

उत्तर	: आराजी संख्या 7, 8
दक्षिण	: आराजी संख्या 24,14,13,12
पूरब	: आराजी संख्या 10,11
पश्चिम	: अन्य कृषि भूमि

(10) निर्धारित किराया : x

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 676996

(11) अनुमानित किराया : X

(12) भवन / भूखण्ड / कृषि भूमि : आवासीय भूखण्ड, जिसपर कोई निर्माण नहीं है, कार्नर का नहीं है और जिसके सामने पार्क नहीं है

(13) सीमा में सड़क की चौड़ाई व स्थिति : चारो ओर कृषि भूमि है

9. स्टाम्प अदायगी का विवरण :

(1) जिलाधिकारी दर भूखण्ड : रूपया 5,000 / –प्रति वर्गमीटर

(2) निर्धारित किराया : X

(3) आच्छादित क्षेत्र के लिये निर्माण दर : X

(4) भूमि का मूल्य : 255 X 5000 / – = 12,75,000 / –रूपया

(5) निर्माण का मूल्य : X

सुमन लता तिवारी

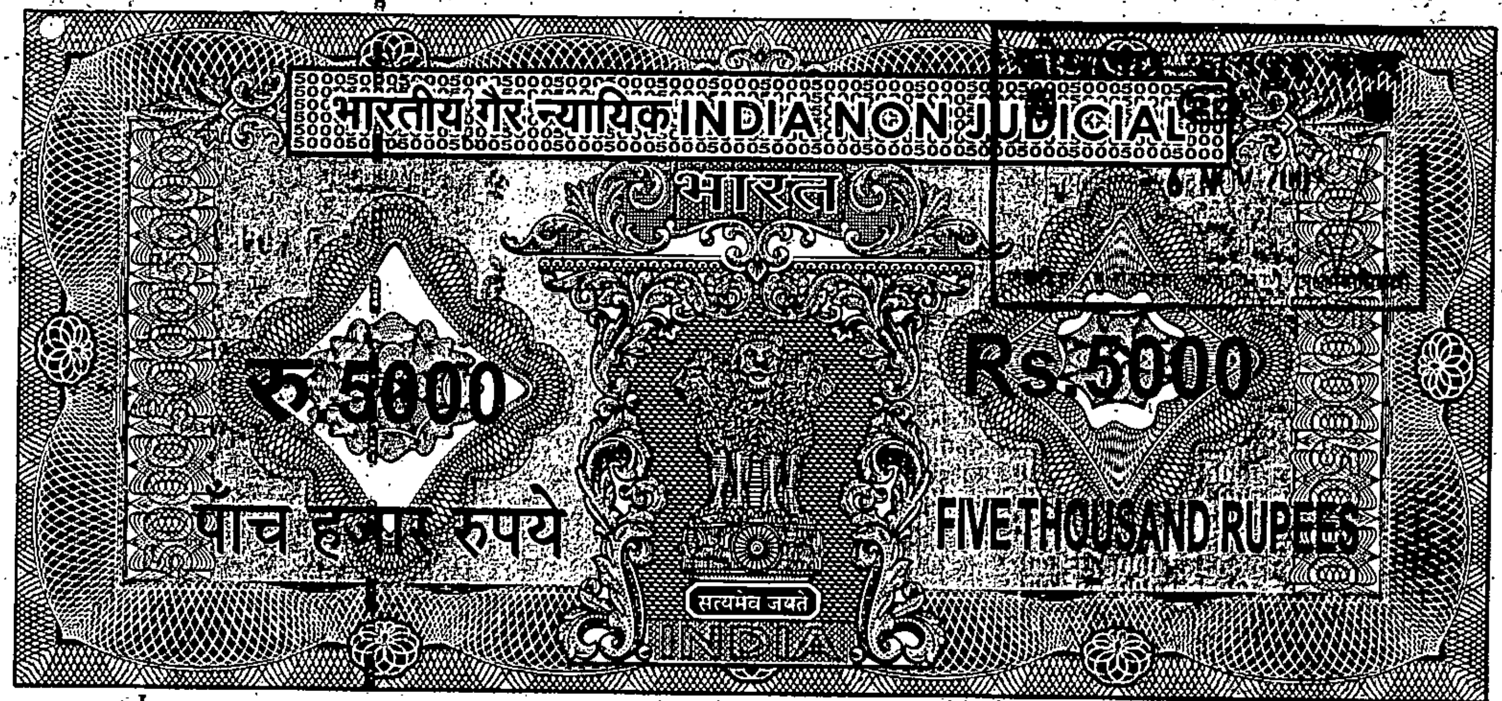

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 676997

5

(6) अवमानित मूल्य : x

(7) जिलाधिकारी दर से देय : रूपया 89,300/–
स्टाम्प देयता

(8) कुल दिया गया स्टाम्प : रूपया 89,300/–

<u>विक्रय–पत्र</u>

श्रीमती सुमनलता वयस्क पत्नी स्वर्गीय जय जय राम उर्फ विनोद कुमार व अवधेश कुमार वयस्क पुत्र स्वर्गीय जय जय राम उर्फ विनोद कुमार निवासीगण ग्राम नारामऊ बांगर कानपुर नगर .....विक्रेतागण/प्रथमपक्ष

एवं

रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 3–11–2009 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ) ....क्रेता/द्वितीयपक्ष

(पक्षों का तात्पर्य उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों आदि से है)।

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 676998

विदित हो कि विक्रेतागण खाता संख्या 00035 की आराजी संख्या 3 मि. क्षेत्रफल 0.051 हेक्टयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.0255 हेक्टेयर अर्थात 255 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर के स्वामी, मालिक, काबिज दखील हैं । भूमि उपरोक्त विक्रेतागण की विरासतन सम्पत्ति है और विक्रेतागण/प्रथम पक्ष का नाम आराजी भूमि उपरोक्त पर भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित चला आ रहा है और प्रथम पक्ष ही आराजी भूमि उपरोक्त पर काश्त करते व लगान आदि अदा करते चले आ रहे हैं । प्रथम पक्ष के अलावा आराजी भूमि उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो कि आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह रहन व बय व बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष को आराजी भूमि उपरोक्त को विक्रय करने से किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोका नहीं गया है और आराजी भूमि उपरोक्त किसी की डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी भूमि उपरोक्त में कोई इल्लत इनकम टैक्स व सेल टैक्स

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 493875

व बैंक लोन या सीलिंग आदि की नहीं है और आराजी भूमि उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और अर्जन सम्बन्धी कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है । आराजी भूमि उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है और समस्त अधिकार मालिकाना बाबत आराजी भूमि उपरोक्त प्रथम पक्ष को हासिल है । यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात पायी जावे तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । चूँकि प्रथम पक्ष को इस वक्त रूपये की आवश्यकता है और आराजी भूमि उपरोक्त के विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्राप्ति रूपया का नजर नही आता है अतः प्रथमपक्ष ने आराजी भूमि उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीत की और प्रथम पक्ष की आराजी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा अपनी मिल्कियत होने का यकीन व इत्मीनान दिलाने पर द्वितीय पक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 493874

नगर कानपुर नगर बकीमत मुबलिग 3,20,000/- रूपया में खरीद करना स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित व बाजार भाव है और इससे अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने को तैयार नहीं है । अतः आराजी भूमि उपरोक्त को मय समस्त अधिकारों के मय दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा सबके सब को बजरूरत जायज मजकूरे वाला बिलएवज मुबलिग 3,20,000/- तीन लाख बीस हजार रूपया बदस्त द्वितीयपक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए-3, स्वरूप नगर कानपुर नगर के बय कतई किया और फरोख्त कर डाला और कुल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया अब कोई पैसा बाबत विक्रय धन जिम्मे खरीदार द्वितीय पक्ष पाना बाकी नहीं रहा और न आयन्दा को होगा और विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से निकाल कर बीच कब्जा व दखल मालिकाना खरीदार द्वितीय पक्ष को दे दिया । खरीदार द्वितीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 493873

पक्ष को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त को जिस प्रकार से चाहें अपने प्रयोग में लावें, रहन व बय व हिबा व वसीयत आदि करें, किराये पर उठायें अथवा काश्त करें व करायें, जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग व उपभोग में लावें । यदि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त अथवा उसका कोई अंश द्वितीयपक्ष के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या उसकी बाबत आज दिन तक की बाबत कुछ अदा या सर्फ करना पड़े या कोई मुकदमा बसिलसिले मिलकियत लड़ना पड़े तो खरीदार द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान को अधिकार होगा कि अपना कुल या जुज विक्रय धन जैसी कि सूरत हो प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से द्वारा न्यायालय वसूल कर लेवे और द्वितीय पक्ष खरीदार उपरोक्त को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त पर अपना नाम भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में अंकित करा लेंवे प्रथम पक्ष की रज़ामन्दी वास्ते दाखिल खारिज द्वारा बयनामा हाज़ा समझी जावेगी और यदि कोई आवश्यकता बाबत दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर व बयान आदि की होगी प्रथम पक्ष देने के पाबन्द होंगे और समस्त शरायत विक्रय पत्र

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

3 NOV 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 493872

की पाबन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

अतः बखूबी सुन व समझ व पढ़कर अपने होशहवास की दुरुस्ती में बिना किसी के सिखलाये व समझाये व बरगलाये व बिला दाब नाजायज किसी के अपनी राजी खुशी से यह विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

<u>विक्रय धन प्राप्ति का विवरण</u>

मुबलिग 3,20,000/– तीन लाख बीस हजार रूपया जो क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्न प्रकार से दिया गया –

मुबलिग 3,20,000/–रूपया जरिए पे आर्डर नम्बर 025710 व 025711
दिनाक 11–11–2009 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा [illegible] कानपुर –नगर

<u>मुबलिग 3,20,000/–</u> सम्पूर्ण विक्रयमूल्य उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिया। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में विक्रेतागण को क्रेता से कुछ भी धन प्राप्त करना शेष नहीं रहा।

सुमन लता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925187

11

विक्रेता संख्या (1) का बॉया तथा दॉया निशानातं पंजा :—

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 925186

विक्रेता संख्या (2) का बॉया तथा दॉया निशानात पंजा :-

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

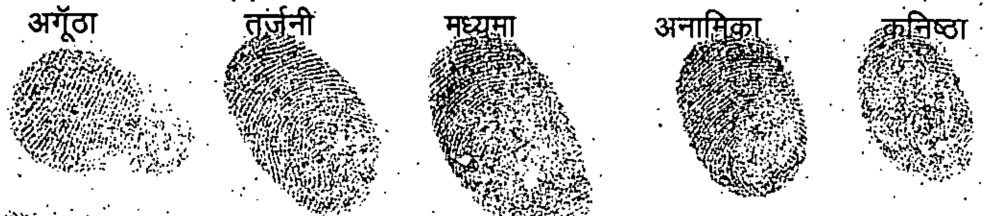

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

क्रेता की ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनंजय तिवारी का बॉया तथा दॉया निशानात पंजा :-

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

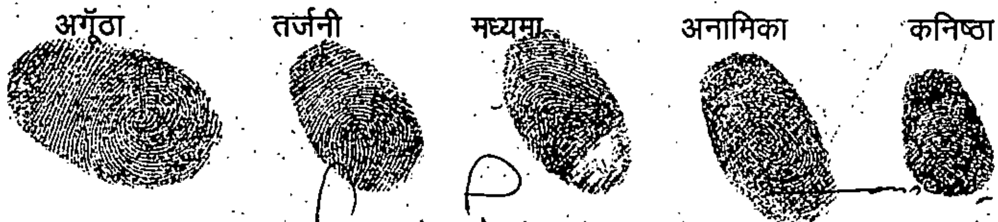

सुमनलता तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 925185

13

गवाहान :-

(1)

प्रथम पक्ष

(2)

द्वितीय पक्ष

प्रारुप अपने कार्यालय में तैयार कर मुद्रित कराया ।

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट
कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर ।

LOCATION PLAN OF AGRICULTURE LAND OF
ARAZI NO - 3 MIN AT NARAMAU
BANGER TEH/DIST - KANPUR NAGAR
SOLD AREA - 1255.00 SQM

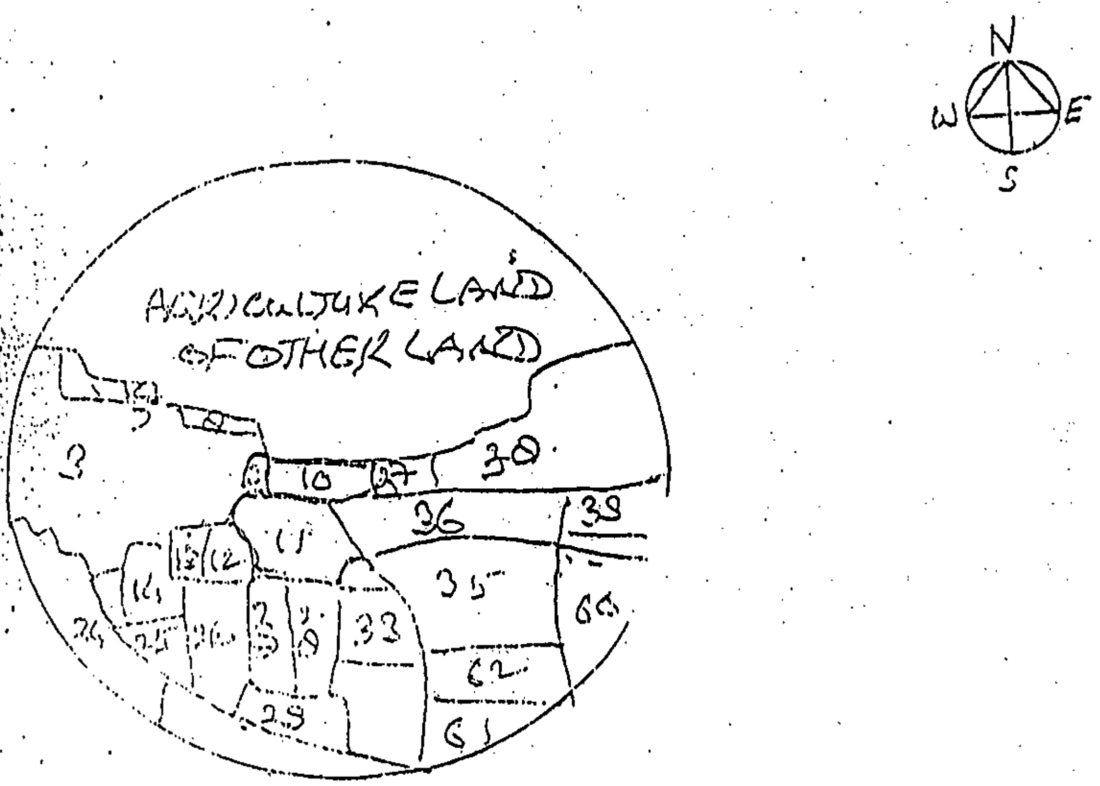

SIGN. OF SELLER - SIGN. OF PURCHASER - SIGN. OF ENGINEER

मुन्नालाल तिवारी

Er. Lalit Kant Tripathi
Civil Engineer
Approved by K.D.A.
54/39, Ram Market
Chaturbhuj Ganj
Naya Ganj, Kanpur

आज दिनांक **12/11/2009** को

बही सं **1** जिल्द सं **4279**

पृष्ठ सं. **331** से **360** पर क्रमांक **3427**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मानवेन्द्र शास्त्री

उप निबन्धक (जोन-2)

कानपुर नगर।

12/11/2009